न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 08/18 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2018/00235

उनवान

1. होतीलाल
2. केशव

} पिसरान स्व0 नत्थी जाति माली निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. धर्म सिंह
2. भगवानदास
3. भीम सिंह
4. टेकचन्द
5. जगदीश

} पिस0 स्व0 नत्थी जाति माली निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील नगर।

6. फूलवती
7. रामवती
8. शीला

} पुत्रीयान स्व0 नत्थी जाति माली निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील नगर।

9. नायव तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार सीकरी।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी नगर दिनांक 26.06.2018 उनवान भगवानदास बनाम होती मु0न0 70/15

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री हरीकृष्ण शर्मा उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र में अंकित विवादित आराजी के प्रार्थी अपीलाण्ट एवं अप्रार्थी रैस्पो0 सहखातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वर्तमान में सम्मिलित रूप से काश्त करने में विवाद उत्पन्न होता है। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये, अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का दावा है। उभयपक्षकारान सभी विवादित आराजी में सहखातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में सहमत रहे हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलाधीन आदेश से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुये, ताफैसला दावा विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। दौराने बहस अपीलाण्ट ने अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष ने मूल वाद के निस्तारण होने तक विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की सहमति व्यक्त की गयी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। हमने गौर किया। दौराने वाद विवादित आराजी की सुरक्षा हेतु स्थगन निरापद होता है। अतः वाद बहुलयता रोकने के लिये हम अपीलाधीन आदेश में वर्णित विवादित आराजी की मूल दावे के निस्तारण तक उभयपक्ष को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्दी आयद करना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2018 अपास्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/12/2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर